न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जी.सी.एम.एस नम्बर 2024/39

1. गुमान पुत्र देवा जाति नायक, निवासी ग्राम माचवा, तहसील जयपुर, जिला जयपुर।
2. पप्पू पुत्र श्री महादेव
3. देवी लाल पुत्र श्री महादेव
4. शांति पुत्री श्री महादेव जाति नायक, समस्त निवासीयान चाकसू, तहसील चाकसू, जिला जयपुर ।
5. सोहनी पुत्री स्व श्री महादेव पत्नी श्री बिशना राम जाति नायक निवासी ग्राम कुण्डा आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
6. नारायण पुत्र श्री देवा, जाति नायक, निवासी माचक, तहसील जयपुर, जिला जयपुर ।
7. राजू पुत्री श्री देवा पत्नी श्री सेडू राम, जाति नायक, निवासी ग्राम जाखली तहसील मकराना, जिला नागौर
8. कैलाश पुत्री देवा पत्नी श्री रामफूल, जाति नायक, निवासी ग्राम जाखली तहसील मकराना जिला नागौर ।
9. राजू पुत्र श्री सिन्धी, जाति नायक निवासी ग्राम माचवा, तहसील जयपुर जिला जयपुर ।
10. नेराज पुत्र श्री सिन्धी पत्नी प्रकाश, जाति नायक, माचवा, तहसील व जिला जयपुर ।
11. अजय पुत्र श्री खेता राम जाति नायक, निवासी बद्रीनाथ कॉलोनी, वार्ड नंबर 01 आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
12. हरि पुत्र श्री रामदयाल
13. छोटू पुत्र श्री रामदयाल
14. राजेश पुत्र श्री रामदयाल
15. श्योजी पुत्र श्री रामदयाल
16. मुकेश पुत्र श्री रामदयाल
17. झाबर पुत्र श्री रामदयाल
18. काना पुत्र श्री रामदयाल
19. सुभाष पुत्र श्री रामदयाल
20. ममता पुत्री
21. रामेश्वरी पत्नी श्री रामदयाल
22. मोती पुत्री श्री गोपाल
23. सुरेश पुत्र श्री गोपाल
24. राकेश पुत्र श्री गोपाल
25. महेश पुत्र श्री गोपाल समस्त जाति नायक, समस्त निवासीयान ग्राम माचवा, तहसील जयपुर जिला जयपुर ।
26. मेयर पुत्री गोपा पत्नी महेन्द्र, जाति नायक, निवासी ग्राम मण्डा, तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर ।

(अपीलान्ट्स बहैसियत मुख्यार आम श्री गुमान पुत्र श्री देवा राम जाति नायक, निवासी ग्राम माचवा, तहसील व जिला जयपुर ।

–अपीलांट्स

संभागीय आयुक्त
जयपुर

बनाम

1. श्रीमती रजनी खण्डेलवाल पत्नी श्री अशोक खण्डेलवाल, जाति महाजन, निवासी प्लाट नंबर 90 रामनाथपुरी, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर ।
2. सरपंच ग्राम पंचायत माचवा, पंचायत समिति झोटवाडा, तहसील जयपुर व जिला जयपुर।
3. तहसीलदार तहसील कालवाड, जिला जयपुर।

—रेस्पोडेंट्स

विरुद्ध अपील निर्णय दिनांक 01.02.2024, न्यायालय तहसीलदार, तहसील कालवाड, जयपुर जिला जयपुर, प्रकरण संख्या 59/2023, बउनवानी श्रीमती रजनी खण्डेलवाल बनाम गुमान व अन्य

उपस्थित–

1. श्री कृष्ण कुमार पारीक वकील अपीलान्ट
2. श्री राजाराम चौधरी वकील रेस्पोडेन्ट 1 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक– 03.06.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार, तहसील कालवाड जिला जयपुर के आदेश दिनांक 01.02.2024 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि वाके ग्राम माचवा, तहसील कालवाड, जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 224 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि दिनांक 06.09.2006 को रजनी खण्डेलवाल के द्वारा चौथी देवी पत्नी श्री महादेव से जरिये विक्रय पत्र खरीद की थी तत्पश्चात नागान्तकरण संख्या 1591 दिनांक 08.12.2006 को ग्राम पंचायत माचवा, द्वारा नामान्तकरण स्वीकृत किया गया, जिससे व्यथित होकर उक्त चौथी देवी के वारिसान द्वारा धारा 42 का उल्लंघन होने के कारण नामान्तकरण की अपील उपखण्ड अधिकारी जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी तत्पश्चात उक्त आदेश के विरूद्ध संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर अपीलांट की जाति के संबंध में जॉच करने हेतु तहसीलदार को प्रेषित किया, जिसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल, राज अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिस पर माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर ने आदेश दिनांक 03.11.2023 को संभागीय आयुक्त, जयपुर के आदेश को बहाल रखते हुये तहसीलदार को निर्देश दिया कि उभय पक्षों को साक्ष्य सबूत व दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में विस्तृत जांच कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें, जिस पर तहसीलदार, कालवाड, जयपुर द्वारा श्रीमती चौथी देवी को पिछडा वर्ग की श्रेणी में मानते हुये ग्राम पंचायत माचवा द्वारा तस्दीक नामा0 संख्या 1591 को सही मानते हुये आदेश दिनांक 01.02.2024 को पारित कर दिया।

3. तहसीलदार, कालवाड के उक्त निर्णय दिनांक 01.02.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट गुमान पुत्र देवा जाति नायकवगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, कालवाडके निर्णय दिनांक 01.02.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम माचवा, तहसील कालवाड, जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 224 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि चौथी देवी पत्नी श्री महादेव को आवंटित हुई थी। जो कि एक अनुसूचित जाति की महिला थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में अपीलांट्स को उनके अनुसूचित जाति के दस्तावेजात आदि प्रस्तुत करने का भी कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है तथा ना ही प्रकरण में तहसीलदार, कालवाड, जयपुर द्वारा अपने स्तर पर जाति के संबंध में कोई जांच पडताल की गयी है तथा ना ही ऐसी कोई जांच व रिपोर्ट इत्यादि पत्रावली पर मौजूद है। ऐसी स्थिति में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश की किसी भी प्रकार से कोई पालना नहीं की गयी है । अतः माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश की अवहेलना करते हुये, निर्णय पारित किया है, जो सरसरी तौर पर ही निरस्त किए जाने योग्य है । रेस्पोडेंट संख्या 3 तहसीलदार, कालवाड, जयपुर द्वारा अपीलांट्स की अनुसूचित जाति होने का जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है जो तहसीलदार, कालवाड के संज्ञान में था तथा विक्रय चौथी देवी के पति जो कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे, जिनका जाति प्रमाण पत्र भी तहसीलदार, कालवाड, जयपुर के संज्ञान में था, के बावजूद भी निर्णय पारित कर दिया है। रेस्पोडेंट संख्या 3 तहसीलदार, कालवाड, जयपुर द्वारा पारित आदेश में राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 30.09.2013 भोपा/भोपा (नायक) को क्रम संख्या 2 में पिछडा वर्ग होने की सूची के आधार पर निर्णय पारित कर दिया है, जबकि विक्रय पत्र वर्ष 2006 में पंजीकृत किया गया था एवं 2006 में चौथी देवी विक्रेता की जाति के संबंध में जांच पडताल करने के उपरान्त ही निर्णय पारित करना चाहिये था, जबकि तहसीलदार कालवाड, जयपुर द्वारा वर्ष 2013 की अधिसूचना के आधार पर निर्णय पारित कर दिया है, जबकि चौथी देवी के परिवारजन व चौथी देवी के पति महादेव के जाति प्रमाण पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि चौथी देवी जिसकी जाति नायक थी, जो कि अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आती है तथा उसके परिवारजनों का जाति प्रमाण पत्र के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि उक्त सभी लोग जाति से नायक थे तथा अनुचित जाति के व्यक्ति है उक्त समस्त दस्तावेजात को दरकिनार करते हुये रेस्पोडेंट संख्या 1 रजनी खण्डेलवाल के पक्ष में निर्णय पारित कर दिया है। तहसीलदार कालवाड, जयपुर को जो निर्देश दिये गये थे, उसके अनुसार तहसीलदार को उक्त तथ्यों की जांच पडताल करनी चाहिये थी कि वर वक्त विक्रय पत्र चौथी देवी अनुसूचित जाति की ना होकर अन्य जाति की हो। ऐसा भी कोई दस्तावेज रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है तथा ना ही तहसीलदार ने ऐसी कोई जांच करवाई है जिससे यह साबित होता हो कि वर्ष 2006 में चौथी देवी अनुसूचित जाति की ना होकर अन्य वर्ग में आती हो। ऐसी सूरत में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश की अवहेलना करते हुये, पारित किया गया है, जो सरसरी तौर पर ही निरस्त फरमाये जाने योग्य है। चौथी देवी अनुसूचित जाति की बुजुर्ग व अशिक्षित महिला थी, जिसको बहला फुसला कर रेस्पोडेंट संख्या 1 ने तथ्यों को छिपाते हुये, अपने पक्ष में विक्रय पत्र का पंजीयन करवा लिया जो कि धारा 42 राज. काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन है तथा तहसीलदार को इस विषय में जानकारी करनी चाहिये थी। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी तथ्यों पर गौर किये बिना एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार कालवाड दिनांक 01.02.2024 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया किचौथी बेवा महादेव जाति भोपा को दिनांक 04/06/1992 को खसरा नं. 224 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटन कमेटी ने आवंटन की थी जिसके आधार

संभागीय आयुक्त
जयपुर

पर नामान्तकरण संख्या 1103 आवंटी के पक्ष में गैर खातेदारी का स्वीकार होकर रिकॉर्ड में अमल हुआ तथा आवंटन की शर्तें पूर्ण करने पर गैर खातेदारी से खातेदारी हेतु नामान्तकरण संख्या 1495 स्वीकार होकर आवंटी को खातेदारी दी गयी। चौथी बेवा महादेव जाति भोपा ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र खसरा नं. 224 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा का हिस्सा 1/5 का विक्रय रजनी खण्डेलवाल पत्नि अशोक खण्डेलवाल को विक्रय किया जिसका नामान्तकरण संख्या 1591 दिनांक 08/12/2006 को ग्राम पंचायत में विधिवत् स्वीकार हुआ। चौथी देवी की जाति भोपा/भोपा (नायक) जाति के हैं जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार जयपुर दिनांक 30/09/2013 के अनुसार जाति से भोपा है जो अन्य पिछडा वर्ग में आती है। अत ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत ही पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामा0 1591 स्वीकार किया है जिस पर अपीलांट का कोई हक अधिकार शेष नहीं रहता है।ऐसी स्थिति में तहसीलदार कालवाड जिला जयपुर द्वारा विधिवत् जॉच व रिकॉर्ड अवलोकन एवं जाति के संबंध में उचित मार्गदर्शन एवं जॉच पश्चात् ही उचित एवं विधिसम्मत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसके अनुसार तहसीलदार कालवाडद्वारा श्रीमती चौथी देवी को पिछडा वर्ग की श्रेणी में मानते हुये ग्राम पंचायत माचवा द्वारा तस्दीक नामा0 संख्या 1591 को सही मानते हुये आदेश दिनांक 01.02.2024 को पारित किया गया है जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद वाके ग्राम माचवा, तहसील कालवाड, जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 224 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा के मृतक खातेदार चौथी देवी पत्नी महादेव की जाति को लेकर है। पत्रावली में प्रस्तुत चौथी देवी के परिवारजन व तहसीलदार जयपुर द्वारा जारी चौथी देवी के पति महादेव के जाति प्रमाण पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि चौथी देवी जिसकी जाति नायक थी, जो कि राजस्थान सरकार के गजट नॉटिफिकेशन के तहत् अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आती है तहसीलदार, कालवाड, द्वारा ही अपीलांट के परिवारजन की अनुसूचित जाति होने का जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है जो तहसीलदार, कालवाड के संज्ञान में था। अनुसूचित जाति की महिला मृतक चौथी देवी द्वारा सवर्ण जाति की महिला रजनी खण्डेलवाल को उक्त विवादित भूमि जरिये विक्रय पत्र बेचान किया गया जो कि **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42** का उल्लंखन है एवं तथाकथित विक्रय पत्र के आधार पर ही नामान्तकरण संख्या 1591 दिनांक 08/12/2006 तस्दीक किया गया है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 में अनुसचित जाति की भूमि गैर अनुसुचित जाति व अन्य जाति को विक्रय किया जाना विधिविरूद्ध होने के कारण साथ ही अनुसूचित जाति की महिला द्वारा सवर्ण जाति की महिला को बेचान करने से अपीलाधीन भूमि का उचित प्रतिफल प्राप्त कर लिया है ऐसी स्थिति में अनुसूचित जाति की महिला के अधिकार विक्रय पत्र किये जाने से समाप्त हो गये हैं। जहॉ तक स्वर्ण जाति की महिला को अधिकार दिये जाने के बिन्दु पर **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42** का उल्लंखन है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन भूमि के संबंध में अपीलार्थी और रेस्पोडेण्ट दोनों के अधिकार नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कालवाड जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 01.02.2024 उचित एवं विधिसम्मत नहीं है। खारिज किये जाने योग्य है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कालवाड जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 01.02.2024 निरस्त किया जाता है तथा नामान्तरकरण संख्या 1591 दिनांक 08.12.2006 ग्राम माचवा निरस्त किया जाता है। तहसीलदार कालवाड को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 का उल्लंखन होने से प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–175 की कार्यवाही कर राजहित में निहित करने हेतु सक्षम न्यायालय को प्रकरण भिजवाया जाकर इस न्यायालय को अवगत करावें।

(डॉ. आरुषी मलिक)
सभागीय आयुक्त,
जयपुर

सभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 03.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सभागीय आयुक्त,
जयपुर

सभागीय आयुक्त
जयपुर